न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नेहा गिरि, आई.ए.एस.जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :– 21/2019 (Rcms no: 2019/00045)

उनवानी प्रकरण :–

1. प्रताप पुत्र मूला जाति गुंर्जर निवासी मटियावास तहसील बसेडी ————अपीलान्ट।

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर————————रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.1.2019
तहसीलदार बसेडी प्र.सं.6/2018
उनवानी राज0 सरकार बनाम प्रताप
अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–
अपीलान्ट की ओर से :– श्री धमेन्द्र सिहं गूर्जर अभिभाषक।
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–19.8.2019

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 18.1.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का बडरिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 123 रकवा 0.43 हैक्टेयर किस्म चारागाह स्थित ग्राम मटियावास पर कब्जा कर सम्वत् 2075 में सरसों की फसल बोकर अतिकमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय सुनवाई कर अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 123 रकवा 0.43 हैक्टेयर पर पश्चात्वर्ती अतिकमी मानते हुए लगान का 50 गुना शास्ति राशि 65/–पैसठ रूपये अधिरोपित कर तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस प्रचारित नहीं किया है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रूप से नोटिस की तामील

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

अपीलान्ट पर कराई यदि विधिवत रूप से अपीलान्ट पर नोटिस तामील होती तो अपीलान्ट नोटिस का जबाव निश्चित रूप से देता । अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सनुवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलान्ट का विवादित आराजी खसरा नम्बर 123 रकवा 0.43 हैक्टेयर भूमि ग्राम मटियावास तहसील बसेडी पर काबिज काश्त नहीं हैं और ना ही किसी भी प्रकार से कोई सरकारी भूमि पर अतिकमण किया है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति है जिसको कानूनी प्रकिया की कोई जानकारी नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.1.2019 की जानकारी अपीलान्ट को नहीं रही। अपील प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की जानबूझकर लापरवाही व देनी नही की है। फिर भी देरी के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.1.2019 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 18.1.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, पटवारी हल्का के बयान एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रतिलिपि पेश की ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्ट को पश्चात्वती अतिकमी मानते हुए बिना सुने लगान का 50 गुना जुर्माना राशि 65/–रूपये अधिरोपित कर 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है, जो कि गलत है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को न तो जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, ना ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया है। अपीलान्ट को जबाव व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलान्ट अपने समर्थन में जबाव साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करता। जैसे ही अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करेगें इस बात का शपथ पत्र दे दिया है। तहसीलदार बसेडी की रिपोर्ट दिनांक 24.7.2019 में अपीलान्ट द्वारा 0.01 हैक्टेयर पर लकडी एवं घूरे डालकर नवीन अतिक्रमण होना बताया है इस सम्बन्ध में भी अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोडने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने बावत शपथ पत्र प्रस्तुत कर देगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.1.2019 निरस्त किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है, जो पश्चात्वर्ती

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से होती है। अपीलान्ट ने सम्वत् 2074 में भी अतिकमण किया था जिसे बेदखल किया गया था। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव साक्ष्य व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया है तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित कर दिया है। इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु अपीलान्ट ने न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये है। अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ यदि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होता तथा जबाव व साक्ष्य हेतु समय की मॉग करता तो अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय समय देने हेतु विचार कर सकता था । यदि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा नही था तो उनके द्वारा जुर्माना राशि की अदायगी क्यों की गई तथा कब्जा छोडने सम्बन्धी शपथ पत्र क्यों प्रस्तुत किया । इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.1.2019 यथावत रखा जावे ।

अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोडने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने सम्बन्धी शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार बसेडी से कराया गया । तहसीलदार बसेडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.7.2019 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 123 नाजायज रकवा 0.43 हैक्टेयर किस्म चारागाह से अतिकमण हटा लिया है। वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा लकडी व घूरा डालकर 0.01 हैक्टेयर भूमि पर नवीन अतिकमण कर रखा है। शेष भूमि अतिकमण मुक्त है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. यह तथ्य सही है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से होती है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन सिद्ध नहीं होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है इस बिन्दु के सम्बन्ध हमारा मत है कि अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ यदि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता तथा जबाव व साक्ष्य हेतु समय की मॉग करता तो अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय समय देने हेतु विचार कर सकता था ।
3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार बसेडी से कराया गया । तहसीदार बसेडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.7.2019 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा लकडी एवं घूरा डालकर 0.01 हैक्टेयर भूमि पर नवीन अतिकमण कर रखा है। शेष भूमि अतिकमण मुक्त है। नवीन अतिकमण 0.01 हैक्टैयर से भी अपीलान्ट कब्जा छोडने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने बावत शपथ पत्र प्रस्तुत कर देगा।

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट 0.01 हैक्टेयर नवीन अतिक्रमण के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दे कि उसने सभी सरकारी आराजी से कब्जा (अतिक्रमण) छोड दिया है तथा भविष्य में कभी भी किसी भी सरकारी आराजी पर कब्जा /अतिक्रमण नहीं करेगा। अपीलआन्ट द्वारा इस न्यायालय में आराजी खसरा नम्बर 123 रकवा 0.43 हैक्टेयर से कब्जा छोडने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी पुनः मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट द्वारा समस्त सरकारी आराजी से कब्जा छोड दिया है वर्तमान में कब्जा नही है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.8.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नेहा गिरि
(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर धौलपुर
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज०)